

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र ।
पत्रांक-4770/ओबरा/15 दिनांक-13-5-2015.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- सागरधा से कैमहवा सम्पर्क मार्ग का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र का पत्र संख्या-761/1सी दिनांक-30.03.2015 तथा पत्रांक-871/1सी दिनांक-15.04.2015.

महोदय,

सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक सम्पर्क मार्ग के प्रस्ताव को आन लाईन फिडिंग कर, हार्ड कापी में प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया है। जिसके क्रम में प्रभाग स्तर से भी आन लाईन फिडिंग कर दिया गया है तथा प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप भी अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

संख्या- अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-उप प्रभागीय वनाधिकारी, चोपन एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, ओबरा को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जब तक विषयक सम्पर्क मार्ग में उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त न हो जाय तब तक सम्पर्क मार्ग में निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने दें। अन्यथा कि स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राम अवतार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।